



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 215 राँची, मंगलवार, 29 वैशाख, 1942 (श०)
19 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 मार्च, 2020

संख्या-03/नि०सं०-09-73/2014 का. 2026-- श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-738ए/03) के द्वारा उनपर विभागीय संकल्प सं० 5644 दिनांक 25.06.2015 के द्वारा अधिरोपित निन्दन एवं दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) 2447/2016 दायर किया गया। पुनः इनके द्वारा उक्त वाद में प्रोन्नति की याचना करते हुए I.A. संख्या 6764/2019 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2019 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

" Having heard the learned Counsel for the parties, this Court is of the considered opinion that the case of the petitioner needs consideration as the punishment order has lost its effect. I hereby direct the respondents to consider the case of the petitioner for promotion from the post of Sub-Divisional Officer to Additional Collector and further higher posts with effect from the due dates within a period of six weeks from the date of receipt of a copy of this order."

2. उक्त न्यायादेश के क्रम में अंकनीय है कि श्री मण्डल अनुसूचित जाति कोटि के पदाधिकारी है तथा इनकी कोटि में अधिसूचना संख्या 4484 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा इनसे कनीय पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या 7954 दिनांक 30.12.2010 के द्वारा श्री पवन कुमार मण्डल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी तथा जिसके फलाफल में विभागीय संकल्प सं0 5644 दिनांक 25.06.2015 के द्वारा श्री मण्डल पर निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया है -

(i) निन्दन

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

4. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 के प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित अथवा दण्ड अधिरोपित रहने की स्थिति में प्रोन्नति नहीं प्रदान की जा सकती है।

5. WP(S) 2447/2016 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री पवन कुमार मण्डल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 738ए/03, गृह जिला- भागलपुर) पर अधिरोपित दण्ड के प्रभाव की समाप्ति के उपरांत उन्हें दिनांक 01.07.2017 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

6. श्री मण्डल को उक्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

7. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No. 3795/2003 एवं W.P.(S) No. 3792/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।
